माननीय न्यायमूर्ति श्री सुवीर सहगल के सामने

राकेश पुरी @ बुल्ली-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य-प्रतिवादी
2020 का सीआरएम-एम नंबर 27566
18 सितंबर 2020

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 439-स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985- धारा 21-बी और 31-नियमित जमानत के लिए पहली याचिका वापस ले ली गई-इसके 1 महीने बाद दूसरी याचिका दायर की गई, बिना कोई नया विकास या तथ्यात्मक स्थिति में बदलाव किए-खारिज कर दिया गया-स्थिर रखा गया, परिस्थितियों में कोई बदलाव किए बिना दूसरी याचिका मानी जाएगी पहले के फैसले की समीक्षा की मांग की जाएगी जो आपराधिक कानून में स्वीकार्य नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले सहित छह मामलों में से एक दोषसिद्धि के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित चार मामले एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हैं। इससे स्पष्ट है कि याची आपराधिक प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना समाज हित में नहीं है। (पैरा 9)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत के लिए पहली याचिका यानी सीआरएम-एम-19259-2020 बहस के बाद 06.08.2020 को वापस ले ली गई थी। वर्तमान दूसरी याचिका तथ्यात्मक स्थिति में कोई नया विकास या बदलाव किए बिना दायर की गई है। (पैरा 10)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव किए बिना, दूसरी याचिका को पहले के फैसले की समीक्षा की मांग के रूप में माना जाएगा जो कि आपराधिक कानून में स्वीकार्य नहीं है। (पैरा11)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सतनाम सिंह गिल।

राजीव सिद्धू, डीएजी, हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य की ओर से।

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुवीर सहगल (मौखिक)

(1) कोविड-19 महामारी के कारण इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

(2) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 कि धारा 51-बी और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21-बी/31 (संक्षेप में "एनडीपीएस अधिनियम") के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 184 दिनांक 03.05.2020 में पुलिस स्टेशन सिटी टोहाना, जिला फतेहाबाद में याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत यह दूसरी याचिका है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा नियमित जमानत के लिए पहली याचिका 06.08.2020, अनुबंध पी-1 को वापस ले ली गई। वर्तमान याचिका बमुश्किल एक महीने बाद स्थापित की गई है।

(3) अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, याचिकाकर्ता मोटरसाइकिल चला रहा था और सह-अभियुक्त विपिन कुमार पीछे बैठे थे, जब उन्हें 03.05.2020 को पुलिस पार्टी ने रोका और तलाशी लेने पर सह-अभियुक्त विपिन कुमार की जींस की दाहिनी जेब से 80 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की गई और वह पूरी तरह से निर्दोष है। वकील के अनुसार, सह-अभियुक्त, विपिन कुमार से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी, सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर जानबूझकर याचिकाकर्ता पर थोप दी गई है, भले ही यह साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। उनका आगे तर्क यह है कि सह-अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2020, अनुबंध पी-2 द्वारा नियमित जमानत की रियायत दी गई थी और याचिकाकर्ता का मामला बेहतर स्थिति में है। उनका कहना है कि नियमित जमानत के लिए दूसरी याचिका सुनवाई योग्य है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण पहली को "वापस ले लिया गया मानकर खारिज" कर दिया गया था।

(5) इसके विपरीत, इंस्पेक्टर राम सिंह के निर्देश पर राज्य के विद्वान वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त, विपिन कुमार ने विशेष रूप से कहा था कि 80 ग्राम हेरोइन में से, जो उसके पास से बरामद की गई थी और दिल्ली से लाई गई थी, 50 ग्राम हेरोइन याचिकाकर्ता की थी, जिसने इसके लिए भुगतान किया था।

(6) मैंने वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील से जब पूछा गया कि एफएसएल रिपोर्ट कब प्राप्त हुई, तो वह कोई विशिष्ट तारीख नहीं बता सके। इसके अलावा, पूछे जाने पर वकील पांच अन्य मामलों में अपनी संलिप्तता के बारे में नहीं बता सके।

(8) याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित मामलों का विवरण यहां दिया गया है: -

(i) धारा 13ए, सार्वजनिक जुआ अधिनियम, पी.एस. के तहत एफआईआर संख्या 166 दिनांक 11.04.2017 शहर टोहाना, जिला फतेहाबाद, ।

(ii) धारा 21ए, एनडीपीएस अधिनियम, पी.एस. के तहत एफआईआर नंबर 342 दिनांक 06.08.2018 शहर टोहाना, जिला फतेहाबाद।

(iii) धारा 13ए, सार्वजनिक जुआ अधिनियम, पी.एस. के तहत एफआईआर नंबर 558 दिनांक 29.11.2016 शहर टोहाना, जिला फतेहाबाद।

(iv) धारा 18, एनडीपीएस अधिनियम, पी.एस. के तहत एफआईआर नंबर 18 दिनांक 28.02.2009 मूनक, जिला. संगरूर; और

(v) धारा 21बी, एनडीपीएस अधिनियम, पी.एस. के तहत एफआईआर संख्या 451 दिनांक 18.09.2019 शहर टोहाना, जिला फतेहाबाद।

(9) उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले सहित छह मामलों में से, याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित चार मामले एक दोषसिद्धि के अलावा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हैं। इससे स्पष्ट है कि याची आपराधिक प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना समाज हित में नहीं है।

(10) याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत के लिए पहली याचिका यानी सीआरएम-एम-19259-2020 को बहस के बाद 06.08.2020 को वापस ले लिया गया। वर्तमान दूसरी याचिका तथ्यात्मक स्थिति में कोई नया विकास या बदलाव किए बिना दायर की गई है।

(11) परिस्थितियों में कोई बदलाव किए बिना, दूसरी याचिका को पहले के फैसले की समीक्षा की मांग के रूप में माना जाएगा जो कि आपराधिक कानून में स्वीकार्य नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरि सिंह मान बनाम हरभजन सिंह बाजवा[1]; मध्य प्रदेश राज्य बनाम कजाड[2] और महाराष्ट्र राज्य बनाम कैप्टन बुद्धि कोटा सुभाराव[3] के मामलों में माना है।

---

[1] 2001 (1) अस सी सी 169

[2] 2001 अस सी सी (सी आर) 1520

[3] 1989 सुपपल (2) अस सी सी 605

(12) तदनुसार, याचिकाकर्ता-अभियुक्त की लंबित जमानत की यह दूसरी याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा